यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी,** के माह 05/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 06/06/2018 से 11/06/2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा, श्री पी0॰सी0 श्रीवास्तव सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस॰के॰ डंग, सुपरवाईजर द्वारा दिनांक 19/05/2012 से 24/05/2012 तक श्री एस॰के॰ त्यागी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2006 से 04/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** छात्र / छात्राओ को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाना। प्रत्येक वर्ष संस्था मे छात्र -छात्राओ के मध्य वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगीता आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष संस्था मे छात्र -छात्राओ को पाठ्यचर्या के अनुसार आध्योगिक भ्रमण भी कयाया जाता हैं। संस्था, राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी गंगा नदी के निकट स्थित हैं। जो ज़िला मुखयालय से 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। संस्था की समुद्र तल से 1260 मीटर/4200 फिट की ऊंचाई पर स्थित हैं। संस्था रेल्वे स्टेशन व हवाई- अड्डे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति हें।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**आधि॰ (+)**	**बचत**
	प्रा॰शे॰	**आवंटन**	**व्यय**	**प्रा॰शे॰**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	216.63	215.58	-	71.34	70.44		1.95
2016-17	-	206.03	204.59	-	47.28	46.34		2.38
2017-18	-	197.69	197.68	-	46.48	46.37		0.12
2018-19 (05/2018 तक)	-	274.23	79.91	-	24.57	6.77		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**			**प्राप्त धनराशि**			
2015-16		प्रा॰ शेष	वर्ष के दौरान आवंटन	विविध प्राप्ति (व्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	बचत
2	Upgradition scheme	0	90.00	0	90.00	81.85	8.15
2016-17		8.15	33.00	0	41.15	6.81	34.34
2017-18		34.34	0	0	34.34	.00649	34.33
2018-19(05/2018)		34.33	0	0	34.33	0	34.33
2015-16	Construction ऑफ Girls Hostel	1.55	0	0	1.55	.00630	1.55
2016-17		1.55	0	0	1.55	1.55	0.00
2017-18		0	0	0	0	0	0.00
2018-19 (05/2018)		0	0	0	0	0	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष (recurring)	प्रारम्भिक अवशेष (non recurring)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (recurring)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (NON recurring)	विविध प्राप्ति(व्याज आदि (Recurring)	विविध प्राप्ति(व्याज आदि) (non recurring)	कुल प्राप्ति (recurring)	कुल प्राप्ति (non recurring)	व्यय (Recurring)	व्यय (non Recurring)	बचत (recurring)	बचत (non recurring)
2015-16	CDTP Scheme	7.03	4.22	8.00	0	.06015	0	15.09	4.22	6.53	0.8	8.56	3.42
2016-17		8.56	3.42	8.00	0	0	0	16.56	3.42	8.38	0.19	8.18	3.23
2017-18		8.17	3.22	6.00	0	0	0	14.17	3.22	7.80	0.08379	6.37	3.14
2018-19(05/18)		6.37	3.14	0	0	0	0	6.37	3.14	0.26	0	6.11	3.14

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय

(iii) को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

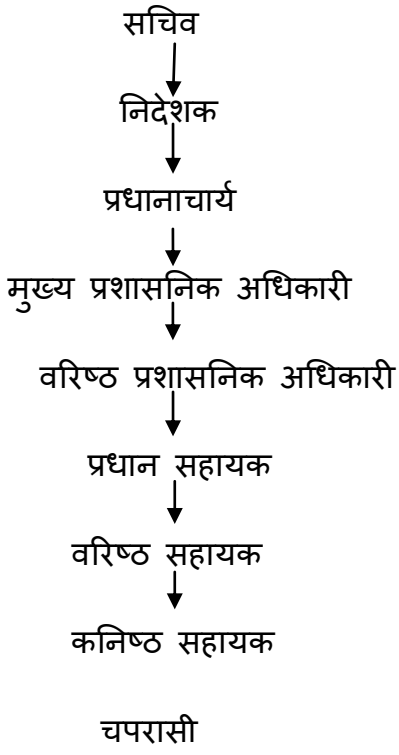

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में राजकीय पॉलीटैक्नीक,उत्तरकाशी की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया हैं। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित हैं। माह 03/2015,03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो ब

प्रस्तर 1:- कौशन निधि खाते से छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹ 634490.00/- को शासनादेश का उलंघन कर वापस न लौटाया जाना।

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हैं जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पष्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी। संप्रेक्षा द्वारा इकाई के छात्र निधि खाते कि जांच मे पाया गया कि कॉलेज के कौशन निधि खाते मे छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹ 198250.00 वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक लम्बित पड़ी हैं एवं ₹ 436940.00 की धनराशि पूर्व वर्षो की लम्बित पड़ी हैं। इस धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि तक छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया नहीं गया था। जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि को छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रो एवं छात्राओ के द्वारा धरोहर धनराशि ₹ 634490.00 को विद्यालय छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओ द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था। आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि कॉलेज ने धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/**निदेशालय से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। विभाग का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकी कॉलेज द्वारा** ₹ 634490.00 कि धनराशि को किसी भी छात्र छात्राओ के विद्यालय छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस नही की थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग-दो ब</u>

प्रस्तर 2:- छात्रनिधि खाते से शासनादेश के विरुद्ध ₹ 2083298.00 की धनराशि का आहरण कर धनराशि का समायोजन नही किया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत तकनीकी विद्यालयो मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु तकनीकी विद्यालयो मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राधनाचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार "छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है" एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार "यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है"।

कार्यालय प्राधानाचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी के छात्रनिधियों से संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया जा रहा हैं। आगे जांच मे पाया गया कि भिन्न-भिन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना समिति को प्रस्ताव पारित किए /प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के बिना छात्रनिधि से आहरण निम्न विवरण के अनुसार किया, जिसमे धनराशि के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था-

क्रम संख्या	वर्ष	आहरित धनराशि(र)	धनराशि व्यय करने का प्रयोजन/मद	कैम्पस का नाम	छात्र निधि खाते मे समायोजन
01	2012-13 से 2017-18	323349.00	कम्प्युटर/इंटरनेटशुल्क	**कार्यालय.** प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	-
02	2012-13 से 2017-18	109690.00	अनुरक्षण	**कार्यालय** प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	
03	2012-13 से 2017-18	515585.00	विधुत व्यय	**कार्यालय** प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	-

04	2015-16	125000.00	भूमि की रजिस्ट्री, वाहन किराया, कार्यालय स्टेशनरी व कम्प्युटर स्टेशनरी	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक कंडीखाल (टीहरी गड़वाल) को वर्ष 2015-16 मे छात्र निधि खाते से ₹ 125000.00 की ऋण रूप मे ली गयी उक्त धनराशि का संप्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं हुआ था।
05	2015-16	684624.00	भूमि के उपर high-tension लाइन हटाने हेतु	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक कंडीखाल (टीहरी गड़वाल) को वर्ष 2015-16 मे छात्र निधि खाते से ₹ 684624.00 ऋण रूप मे ली गयी उक्त धनराशि का संप्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं हुआ था।
06	2015-16	25050.00	रजेस्ट्री शुल्क हेतु	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक चिनयालीसोड़ (उत्तरकाशी) को वर्ष 2015-16 मे छात्र निधि खाते से ₹ 25050.00 ऋण रूप मे दी गयी थी, उक्त धनराशि का संप्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं हुआ था
07	2015-16	300000.00	भूमि की रजेस्ट्री शुल्क हेतु	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पॉलोटैक्निक उत्तरकाशी	प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक पिपली (उत्तरकाशी) को वर्ष 2015-16 मे छात्र निधि खाते से ₹ 300000.00 ऋण रूप मे दी गयी थी, उक्त धनराशि का संप्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं हुआ था
योग		2083298.00			

उक्त तालिका से स्पष्ट हे कि छात्र निधि खाते से शासनादेश के विपरीत ₹ 2083298.00 की धनराशि आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक असमायोजित थी। इकाई के छात्रनिधि खाता का closing balance दिनाक -01/06/2018 को 12282486.00 था, जिसमे से धनराशि का बार-बार अनियमित आहरण हुआ था। संप्रेक्षा जांच यह भी देखा गया कि student welfare मद मे 06 साल मे मात्र ₹ 7933.00 की धनराशि का व्यय हुआ था तथा कॉलेज की,

building development हेतु भी छात्र निधि से ₹ 102012.00 का भी व्यय हुआ था। कॉलेज द्वारा वर्ष 2015-16 मे एवं अन्य वर्षो मे छात्र निधि से ₹ 1886764.00 की धनराशि दूसरी संस्थायो को लोन देने मे व्यय की थी। विगत वर्षो मे समय-समय पर आहरित धनराशि का समायोजन 06 वर्षो से भी अधिक समय के लिए ब्याज रहित असमायोजित थी एवं संप्रेक्षा तिथि 05/2018 तक इकाई के छात्र निधि खाते मे ब्याज की धनराशि ₹ 776982.00 वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक अवशेष पड़ी थी एवं वर्ष 2011-12 का क्लोसिंग बैलेन्स ₹ 499266.00 था। इस प्रकार कुल ₹ 1276248.00 की धनराशि अवशेष थी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त मद कि धनराशि का आहरण छात्र निधि खाते से किया गया। विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं, क्योकि विभाग द्वारा आहरण के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था।

STAN

प्रस्तर 1:- पुस्तकालय का संचालन नियमानुसार न होने के कारण शासकीय धन का अपव्यय एवं 200 पुस्तके की वापसी सुनिश्चित न होना ।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम -194 के प्रविधानों के अनुसार -complete physical verification of books, should be done every year in case of libraries, having not more than twenty thousand volumes, loss of five volumes of books issued consulted in a year may be taken as reasonable provided such cases are not attributable to dishonest, or negligence. However loss of a book of value exceeding Rs 1000.00 and rare books irrespective of volume shall invariable be Investigated and appropriate action taken.

कार्यालय प्रधानाचारिया राजकीय पोलोटेकनिक उत्तरकाशी की जांच पंजिका मे पाया गया कि इकाई द्वारा रखरखाब किए जाने वाले अव्यवस्थित पुस्तकालय मे वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कुल 13349 पुस्तके अवशेष थी, जिसमे से लेखापरीक्षा अवधि तक 950 पुस्तके छात्र/छात्राओ को निर्गत की गयी थी, एवं जिसमे से लगभग 200 पूस्तके missing पाई गई, परंतु इकाई द्वारा उक्त पुस्तकों को पुस्तकालय मे वापस लेने हेतु लेखापरीक्षा अवधि तक कोई कारवाई नहीं की गई थी। आगे जाँच मे पाया गया कि पुस्तकालय समिति द्वारा न ही समय-समय पर प्राप्तकर्ता को न तो कोई सूचना दी गई न ही आगे की अवधि तक पुस्तकों के निर्गमन का नवीनीकरण कराने सम्बन्धी अभिलेख का कोई साक्ष्य पाया गया एवं ऐसे छात्र/छात्राओ जिन्नहोने विलंब से पुस्तकों को पुस्तकालय मे जमा किया, हेतु महाविद्यालय द्वारा बनायी गई पुस्तकालय समिति द्वारा विलंब शुल्क लेने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सम्प्रेक्षा द्वारा पुस्तकालय की वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट complete नहीं किया जाना पाया गया। फलतः पुस्तकों की स्टाफ नियत अवधि मे जारी पुस्तकों की वापसी तथा अप्राप्त पुस्तकों की कारण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी के संज्ञान मे नहीं लाया गया। पुस्तकल्य मे जर्जर पुस्तकों की संख्या लगभग 150 हें जिनहे संप्रेक्षा तिथि तक write off करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, न विवरण सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया गया। 200 Missing पुस्तकों जिंनका मूल्य ₹ 20000.00 था की लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक वापसी इकाई द्वारा सुनिश्चित नहीं कराई गई थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई, के संबंध मे कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट हे कि यदि इकाई द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाती, तो पुस्तकालय के रखरखाव का संचालन सुचारु रूप से होता।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
06/1988-9/91	-	01	-
49/सामन्य क्षेत्र/2005-06	-	-	-
22/2012-13	-	01, 02	-
योग		03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
06/1988-9/91 22/2012-13 KD –pno/802 इकाई द्वारा उक्त प्रस्तरों की बाबत अपनी अनुपालन आख्या मे इस कार्यालय को अवगत कराया है कि संदर्भित प्रस्तर कि अनुपालन आख्या निदेशाल्य स्तर से उच्च अधिकारी कि संस्तुति के उपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री आर सी0 उपाधाय	प्रधानाचार्य	02/2006 से 29/02/08 तक
2.	श्री ओ0एन0 कोस्टा	प्रधानाचार्य	30/02/2008 से 05/07/08
3.	श्री उमेश प्रसाद	प्रधानाचार्य	06/07/08 से 31/01/2018
4.	श्री अमरजीत पांडे	प्रधानाचार्य	01/02/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **राजकीय पॉलीटैक्नीक, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.